NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-01-2025

विषय सूची

गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों का विकास और कल्याण

क्या मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाना चाहिए?

भारत में डेटा स्थानीयकरण

बढ़ते अपराधों के कारण माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में तनाव

भारत को प्रामाणिक और प्रभावशाली शोध की आवश्यकता

इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को 'डॉकिंग' करने का प्रयास किया

लघु भाषा मॉडल (Small Language Models)

संक्षिप्त समाचार

भारत भर में फसल उत्सव

गंगासागर मेला

स्वामी विवेकानंद की जयंती

लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि

राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC)

भारत बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में सम्मिलित हुआ (India Joins UN Panel on Big Data)

गुलाबी अग्निरोधक (Pink Fire Retardant)

दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रीकुलेरिया (Rare Carnivorous Plant Utricularia)

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य

हश मनी (Hush Money)

गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों का विकास और कल्याण

संदर्भ

- गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC) इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इदाते आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नए तरह से प्रयास कर रहा है।

खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और गैर-अधिसूचित जनजातियाँ (NTs, SNTs और DNTs)

- **खानाबदोश समुदाय:** ऐसे समुदाय जो एक स्थान पर निवास के बजाय बार-बार स्थान बदलते रहते हैं। वे प्रायः पशुपालन, व्यापार या शिल्प जैसे पारंपरिक व्यवसायों में लगे रहते हैं।
- **अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियाँ:** ये जनजातियाँ आंशिक रूप से खानाबदोश तथा आंशिक रूप से स्थायी होती हैं, जो मौसमी रूप से प्रवास करती हैं, लेकिन अस्थायी बस्तियाँ भी स्थापित करती हैं।
- **गैर-अधिसूचित जनजातियाँ (DNTs):** ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के अंतर्गत इन्हें "आपराधिक जनजातियों" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस अधिनियम को 1952 में निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को " गैर-अधिसूचित" कर दिया गया।
  - यद्यपि अधिकांश DNTs अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में फैले हुए हैं, कुछ DNTs किसी भी SC, ST या OBC श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।
- **स्थिति:** इदाते आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि देश भर में कुल 1,526 DNTs , NT और SNT समुदाय हैं, जिनमें से 269 को अभी तक SC, ST या OBC के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
  - भारत में कुल 425 गैर-अधिसूचित जनजातियाँ, 810 घुमंतू जनजातियाँ और 27 अर्ध घुमंतू जनजातियाँ हैं।
- DNT समुदायों में, लम्बाडा (STs) सबसे मुखर और दृश्यमान हैं, इसके पश्चात् सरकारी क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्रों में वड्डेरा (BCs) का स्थान है।

NTs, SNTs और DNTs के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **मान्यता और दस्तावेज़ीकरण का अभाव:** गैर-अधिसूचित समुदायों के पास नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों का अभाव है, जिससे उनकी पहचान अदृश्य हो जाती है और सरकारी लाभ, संवैधानिक एवं नागरिकता अधिकार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** इन समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उनकी चिंताओं को व्यक्त करना और उनके अधिकारों का समर्थन करना चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- **सामाजिक आक्षेप और भेदभाव:** NTs, SNTs और DNTs को प्रायः भेदभाव और सामाजिक आक्षेप का सामना करना पड़ता है, जो उनकी ऐतिहासिक गैर-अधिसूचित स्थिति और उनकी विशिष्ट जीवन शैली के कारण होता है।
- **आर्थिक वंचना:** संसाधनों, बाजारों और रोजगार के अवसरों तक पहुँच की कमी के परिणामस्वरूप ये समुदाय आर्थिक रूप से हाशिए पर चले जाते हैं।
- **शैक्षिक वंचना:** इन जनजातियों के लिए शिक्षा के अवसर सीमित हैं, जिसके कारण निरक्षरता दर उच्च है।

इदाते आयोग की सिफारिशें

- वर्ष 2014 में भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में तीन वर्ष की अवधि के लिए गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
- **आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं;**

- आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के लागू होने से उत्पन्न आक्षेप के कारण NTs, SNTs और DNTs के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करने की आवश्यकता है।
- इसने कई अन्य बातों के अतिरिक्त, DNTs/NTs/SNTs को SC/ST/OBC के अंतर्गत शामिल न करने तथा इनके लिए विशिष्ट नीतियाँ बनाने का भी सुझाव दिया।
- भारत में खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और गैर-अधिसूचित जनजातियों (NTs, SNTs, और DNTs) के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना करना।
- इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी दस्तावेजों जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में समुदायों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने पर बल दिया गया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **DNTs, SNTs और NTs के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC):** कल्याण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 2019 में गठित किया गया।
- **नीति आयोग पहचान प्रयास:** इन समुदायों की पहचान को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति की स्थापना की गई।
- **DNTs के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (SEED):** पाँच वर्षों (2021-26) के लिए ₹200 करोड़ के बजट के साथ 2022 में प्रारंभ की जाएगी।
- **DNTs के आर्थिक सशक्तिकरण योजना के चार घटक हैं:**
  - प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग।
  - स्वास्थ्य बीमा।
  - सामुदायिक स्तर पर आजीविका संबंधी पहल।
  - आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

आगे की राह

- गैर-अधिसूचित जनजातियों के बारे में औपनिवेशिक मानसिकता कि उनमें "आपराधिक प्रवृत्ति" है, को परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।
- उनकी पहचान के समुचित दस्तावेजीकरण में तीव्रता लाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनकी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।
- NHRC ने सुझाव दिया है कि गैर-अधिसूचित जनजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए संसद, सरकारी संस्थानों और उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

Source: TH

क्या मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाना चाहिए?

संदर्भ

- भारत में मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ने को लेकर परिचर्चा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें इस कदम के पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के तर्क दिए गए हैं।

पृष्ठभूमि

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची में डुप्लिकेट प्रविष्टियों जैसी समस्याओं के समाधान के लिए 2015 में राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) प्रारंभ किया था।
    - इस पहल का उद्देश्य प्रमाणीकरण के लिए मतदाता पहचान-पत्र (EPIC) को आधार संख्या से जोड़ना था। हालाँकि, 2015 में उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश ने कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए आधार के अनिवार्य उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे NERPAP पर रोक लग गई।
- वर्ष 2021 में, मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए मतदाता पहचान-पत्र को आधार के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन किया गया।

मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ने के पीछे तर्क

- **डुप्लिकेट और धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों का उन्मूलन:** आधार के साथ लिंक करके, जो कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित है, निर्वाचन क्षेत्रों में प्रविष्टियों के दोहराव को कम किया जा सकता है।
    - चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021, निर्वाचन अधिकारियों को पहचान सत्यापन के लिए आधार संख्या माँगने की अनुमति देता है।
- **बेहतर मतदाता सूची:** नियमित आधार-आधारित सत्यापन सटीक, अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करता है।
- **प्रशासनिक दक्षता:** चूँकि 99% से अधिक वयस्कों के पास आधार कार्ड है, इस डेटाबेस का उपयोग करके मतदाता सत्यापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे वे अधिक तीव्र और लागत प्रभावी हो सकेंगी।
- **मतदाता गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना:** आधार लिंकेज से विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में जाने वाले मतदाताओं को अपने मतदाता पंजीकरण विवरण को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता मिल सकती है।
- **समावेशन और सुगम्यता:** आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से भविष्य में दूरस्थ मतदान जैसे नवाचारों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिससे प्रवासी श्रमिकों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों से दूर रहने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के विरुद्ध तर्क

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** आधार को मतदाता पहचान-पत्र से जोड़ने से व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, विशेष रूप से मजबूत डेटा संरक्षण कानून के अभाव में, जिससे डेटा के उल्लंघन, प्रोफाइलिंग या निगरानी की संभावना बढ़ जाती है।
- **डेटा सटीकता के मुद्दे:** आधार डेटाबेस में त्रुटियों के कारण गलत मतदाता बहिष्कृत या सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे चुनावी अखंडता कमजोर हो सकती है।
- **मताधिकार से वंचित होने का जोखिम:** पिछले अनुभवों, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2015 के लिंकेज अभ्यास के परिणामस्वरूप लगभग 30 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित (मतदान के अधिकार की हानि) हो गई थी।
    - बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में त्रुटियाँ, जिनकी विफलता दर 12% तक बताई गई है, इस जोखिम को अधिक बढ़ा देती हैं।

    - चुनावी संदर्भ में इस तरह का बहिष्कार मतदान के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- **कानूनी और संवैधानिक मुद्दे:** आधार पर उच्चतम न्यायालय के 2018 के निर्णय ने इसके अनिवार्य उपयोग को कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित कर दिया, तथा इस बात पर बल दिया कि इसे सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
    - इस उदाहरण के अंतर्गत इसे मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ने पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **चुनावी संशोधन:** आलोचकों को संवेदनशील डेटा के केंद्रीकरण की चिंता है, जिसका सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक लाभ या मतदाता प्रोफाइलिंग के लिए शोषण किया जा सकता है।
- **नागरिकता सत्यापन संबंधी मुद्दे:** आधार नागरिकता के नहीं बल्कि निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। मतदाता सत्यापन के लिए इस पर निर्भर रहने से गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने से प्रभावी रूप से नहीं रोका जा सकेगा।

भारत में वर्तमान स्थिति

- अभी तक मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है।
- भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार संख्या प्रस्तुत न कर पाने के कारण किसी भी मतदाता को पंजीकरण से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।
- यदि आधार उपलब्ध न हो तो वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम जैसे देश विशिष्ट पहचानकर्ताओं का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मतदाता प्रमाणीकरण के लिए आधार जैसी व्यापक और बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का उपयोग नहीं करता है।
- इसके बजाय, अधिकांश लोग समावेशिता सुनिश्चित करने और वंचितता से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आगे की राह

- **मजबूत कानूनी सुरक्षा:** इस लिंकेज को लागू करने से पहले एक व्यापक डेटा सुरक्षा कानून का अधिनियमन आवश्यक है जो गोपनीयता और दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **स्वैच्छिक ऑप्ट-इन तंत्र:** यह प्रक्रिया स्वैच्छिक रहनी चाहिए और मतदाताओं के अधिकारों में बाधा नहीं डालनी चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार के बिना रहने वाले लोग मताधिकार से वंचित न हों।
- **जन जागरूकता अभियान:** गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए प्रक्रिया और लाभों के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करना विश्वास प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **स्वतंत्र लेखा परीक्षा तंत्र:** स्वतंत्र निकायों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रणाली की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है और हेरफेर या डेटा उल्लंघन के जोखिम को कम कर सकता है।

निष्कर्ष

- मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ने से मतदाता सूची की सटीकता में वृद्धि, धोखाधड़ी में कमी तथा प्रशासनिक दक्षता जैसे संभावित लाभ होंगे। हालाँकि, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और मतदाता वंचितता से संबंधित महत्त्वपूर्ण चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।

- एक संतुलित दृष्टिकोण - स्वैच्छिक भागीदारी, मजबूत सुरक्षा उपायों और सार्वजनिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना - यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है कि यह पहल नागरिकों के अधिकारों से समझौता किए बिना लोकतंत्र को सुदृढ़ करे।

Source: TH

भारत में डेटा स्थानीयकरण

संदर्भ

- सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें डेटा स्थानीयकरण से संबंधित नियम सम्मिलित हैं।

डेटा स्थानीयकरण क्या है?

- इसका तात्पर्य किसी विशिष्ट देश या भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं के अंदर उस क्षेत्र के कानूनों एवं नियमों के अनुपालन में डेटा को संग्रहीत करने और संसाधित करने की प्रथा से है।
- इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार डेटा स्थानांतरण पर प्रतिबंध शामिल है।

पृष्ठभूमि

- 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने भारत के लिए डेटा संरक्षण ढाँचा विकसित करने का निर्णय लिया है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया।
    - एक बार अधिसूचित होने के पश्चात्, ये नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करेंगे।

डेटा स्थानीयकरण के अनुरूप अधिनियम के अंतर्गत नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- **डेटा फिड्युसरी(Data Fiduciaries):** मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न सहित सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की अपेक्षा है।
- **पारदर्शिता:** डेटा फ़िड्युशरीज़ को व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित किया जाता है, इसके बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि सूचित सहमति प्राप्त हो सके।
- **डेटा के प्रवाह पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार व्यक्तिगत डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करेगी जिसे "महत्त्वपूर्ण डेटा फ़िड्युशरीज़" द्वारा संसाधित किया जा सकता है
    - इस पर प्रतिबंध है कि ऐसा व्यक्तिगत डेटा भारत के क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- **डेटा उल्लंघन:** डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा फिड्युशरीज़ को जोखिम को कम करने के लिए लागू किए गए उपायों सहित, बिना किसी देरी के प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना होगा।
    - डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय न करने पर जुर्माना 250 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता

- **भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था:** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिससे यह विश्व के सबसे बड़े डेटा जनरेटरों में से एक बन जाएगा।
    - 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, उत्पन्न, संसाधित और संग्रहीत व्यक्तिगत डेटा की मात्रा खगोलीय है।

    - इसने वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों को आकर्षित किया है, लेकिन इसने डेटा संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में प्रश्न भी उठाए हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** जब भारतीय नागरिकों का महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा विदेशी अधिकार क्षेत्र में संग्रहीत किया जाता है, तो यह विदेशी कानूनों और संभावित रूप से विदेशी निगरानी के अधीन हो जाता है, जिससे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में कमजोरियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **बढ़ते साइबर खतरे:** ऐसे युग में जहाँ डेटा उल्लंघन एवं साइबर युद्ध वास्तविक खतरे हैं, राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर महत्त्वपूर्ण डेटा होने से बेहतर घटना प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- **आर्थिक हित:** यह प्रभावी रूप से एक मजबूत घरेलू डेटा सेंटर उद्योग का निर्माण करता है। इससे न केवल रोजगार और तकनीकी विशेषज्ञता सृजित होती है, बल्कि विदेशी बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता भी कम होती है।
- **बेहतर डेटा प्रबंधन:** डेटा को देश के अंदर रखकर, दुरुपयोग या उल्लंघन को रोकने के लिए इसकी अधिक आसानी से निगरानी और ऑडिट किया जा सकता है।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुँच:** यह साइबर अपराधों या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की जाँच करते समय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डेटा तक तेजी से पहुँच को भी सक्षम बनाता है।

डेटा स्थानीयकरण की चुनौतियाँ

- **अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:** भारत को उद्योगों में उत्पन्न विशाल मात्रा में डेटा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
    - स्थानीय डेटा केंद्रों का निर्माण और रखरखाव व्यवसायों के लिए महंगा हो सकता है, विशेषकर छोटे व्यवसायों के लिए।
- **वैश्विक व्यापार प्रभाव:** ऐसी चिंताएँ हैं कि सख्त स्थानीयकरण आवश्यकताओं से व्यवसायों की परिचालन लागत बढ़ सकती है, जिससे नवाचार और विदेशी निवेश में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **अनुपालन भार:** व्यवसायों को विभिन्न स्थानीयकरण कानूनों का पालन करने में कानूनी और विनियामक जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से सीमा-पार डेटा स्थानांतरण के मामले में।

निष्कर्ष

- डेटा संरक्षण और स्थानीयकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण इसकी संप्रभु आकांक्षाओं और इसके विशाल डिजिटल पदचिह्न के प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियों, दोनों को प्रतिबिंबित करता है।
- एक दूसरे से जुड़ी विश्व में जहाँ डेटा प्रवाह की कोई सीमा नहीं होती, डेटा संरक्षण और स्थानीयकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बन सकता है, जो नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देते हुए अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं।

Source: TH

बढ़ते अपराधों के कारण माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में तनाव

संदर्भ

- भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में चूक में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि समग्र बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NPAs) 12 वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई हैं।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- माइक्रोफाइनेंस से तात्पर्य निम्न आय वर्ग के लोगों को छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से है, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग चैनलों तक पहुँच नहीं है।
- माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (MFIs) मुख्य रूप से उद्यमशीलता गतिविधियों और आय सृजन के लिए वंचित जनसंख्या को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एमएफआई के प्रकार हैं;
  - **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ** - माइक्रोफाइनेंस संस्थान (NBFC-MFIs)।
  - **गैर-सरकारी संगठन (NGOs):** यह गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करते हैं।
  - **सहकारी समितियाँ:** ये सदस्य-स्वामित्व वाली संस्थाएँ हैं जो सूक्ष्म वित्त सेवाएँ प्रदान करती हैं।
  - **वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक (SFBs):** अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के भाग के रूप में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- **बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्तियाँ:**
  - निम्न आय वर्ग को दिए गए माइक्रोफाइनेंस ऋणों में जोखिम पोर्टफोलियो (PAR) (31-180 दिनों के अतिदेय ऋण) में तीव्र वृद्धि देखी गई है।
  - **भौगोलिक प्रभाव:** बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में नए विलंबित भुगतानों का 62% भाग है।
  - सभी ऋण श्रेणियों में चूक बढ़ रही है, जिसमें लघु वित्त बैंक (SFBs) सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- **बाजार हिस्सेदारी और वृद्धि:**
  - NBFCs और बैंकों के पास कुल माइक्रोलोन पोर्टफोलियो का 71.3% भाग है।
  - ऋण पुस्तिका में 7.6% की वार्षिक वृद्धि एवं सजीव ग्राहक आधार में 8.9% की वृद्धि के बावजूद, ऋण पुस्तिका में 4.3% और ग्राहक आधार में 1.1% की तिमाही गिरावट दर्ज हुई।

बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्तियों के कारण

- **उधारकर्ताओं द्वारा अत्यधिक ऋण लेना:** MFI और गैर-MFI दोनों स्रोतों से उधार लेने में वृद्धि के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं पर अत्यधिक ऋण का भार में वृद्धि हुई है।
- **धोखाधड़ी के उदाहरण:** गलत बयानी और धोखाधड़ी के मामलों के कारण परिचालन जोखिम में वृद्धि हुई है।

- **आर्थिक संकट:** बाहरी आर्थिक झटकों और आय अनिश्चितताओं ने पुनर्भुगतान क्षमताओं को प्रभावित किया है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:** कर्मचारियों की उच्च संख्या में कमी तथा उचित उधारकर्ता मूल्यांकन तंत्र का अभाव।

बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्तियों का प्रभाव

- **MFIs पर वित्तीय दबाव:** बढ़ी हुई ऋण लागत MFIs की लाभप्रदता को कम करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।
- **ऋण देने की क्षमता में कमी:** उच्च NPAs के कारण उधारकर्ताओं को नया ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे वित्तीय समावेशन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **उधारकर्ता संकट:** अधिक ऋणग्रस्त उधारकर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वित्तीय प्रणालियों से बहिष्कृत होने का जोखिम रहता है।
- **क्षेत्र-व्यापी विश्वास संबंधी मुद्दे:** बढ़ते डिफॉल्ट से माइक्रोफाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों और ऋणदाताओं का विश्वास कम हो सकता है।

आगे की राह

- **ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना:** बेहतर जोखिम प्रोफाइलिंग और उधारकर्ता मूल्यांकन तंत्र को लागू करना।
- **वित्तीय साक्षरता पहल:** ऋण प्रबंधन के संबंध में उधारकर्ताओं की जागरूकता बढ़ाना।
- **सख्त नियामक निरीक्षण:** धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना।
- **परिचालन सुदृढ़ीकरण:** बेहतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या में कमी लाना।
- **ऋण समेकन उपाय:** अधिक ऋणग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए संरचित पुनर्भुगतान योजनाएँ प्रदान करना।

निष्कर्ष

- माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत ऋण अनुशासन, वित्तीय शिक्षा और नियामक सतर्कता को शामिल करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- भारत में वित्तीय समावेशन को बनाए रखने के लिए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना और जिम्मेदार ऋण प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण होगा।

Sources: IE

भारत को प्रामाणिक और प्रभावशाली शोध की आवश्यकता

संदर्भ

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने प्रामाणिक और व्यावहारिक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया था, जिससे समाज में सार्थक परिवर्तन आ सके।
    - भारत को वैश्विक नेता के रूप में उभरने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (R&D) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत को अधिक प्रामाणिक एवं प्रभावशाली अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है?

- **कम पेटेंट योगदान:** भारत अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.65% व्यय करता है, जो अमेरिका (2.8%) या दक्षिण कोरिया (4.5%) जैसे विकसित देशों से काफी कम है।

- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** अनुसंधान-संचालित उद्योग अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर जोड़ सकते हैं।
- **आयात निर्भरता में कमी:** भारत सेमीकंडक्टर आयात पर प्रतिवर्ष 1 बिलियन डॉलर व्यय करता है। प्रामाणिक अनुसंधान से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकता है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** AI, रक्षा एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** वैश्विक नवाचार सूचकांक (2023) में भारत 40वें स्थान पर है। केंद्रित अनुसंधान इस रैंकिंग को बेहतर बना सकता है और भारत को वैश्विक नवाचार नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।
- **घरेलू चुनौतियों का समाधान:** भारत के पास वैश्विक भूमि क्षेत्र का 2.4% तथा विश्व की जनसंख्या का 16% भाग है, जिसके कारण संसाधन प्रबंधन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
    - अनुसंधान कृषि, स्वच्छ जल और शहरी नियोजन के लिए समाधान प्रदान कर सकता है।

भारत में अनुसंधान में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश वैश्विक औसत से काफी कम है, जिससे महत्त्वाकांक्षी अनुसंधान परियोजनाओं का दायरा सीमित हो रहा है।
- **प्रतिभा पलायन:** प्रतिभावान शोधकर्ता प्रायः बेहतर वित्त पोषण, बुनियादी ढाँचे और अवसरों के कारण विदेश प्रवासित हो जाते हैं।
- **कमजोर उद्योग-अकादमिक सहयोग:** अकादमिक और उद्योगों के मध्य समन्वय की कमी अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण को रोकती है।
- **सैद्धांतिक अनुसंधान पर अत्यधिक बल :** भारत में अधिकांश अनुसंधान अकादमिक ही रहता है, जिसका व्यावहारिक अनुप्रयोग या सामाजिक प्रभाव सीमित होता है।
- **नौकरशाही बाधाएँ:** लंबी स्वीकृति प्रक्रिया और अनुसंधान संस्थानों में स्वायत्तता की कमी नवाचार में बाधा उत्पन्न करती है।

भारत में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम

- **अटल इनोवेशन मिशन (AIM):** यह स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF):** इसकी स्थापना अनुसंधान बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **PLI योजना (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन):** इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
- **उत्कृष्ट संस्थान (IoE):** चुनिंदा विश्वविद्यालयों को उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान के केंद्र के रूप में नामित करता है।
- **IMPRINT और SPARC कार्यक्रम:** IMPRINT अनुसंधान के माध्यम से राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि SPARC भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- **DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ:** युवा शोधकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक अनुसंधान पर केंद्रित।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण में वृद्धि:** वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% आवंटित करना।
- **उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करना:** नवाचार केन्द्रों की स्थापना करना जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को उद्योगों से जोड़ते हैं।
- **प्रतिभा को बनाए रखना:** प्रतिभा पलायन को रोकने और वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन, अनुदान एवं बुनियादी ढाँचे की पेशकश करना।
- **प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:** AI, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को प्राथमिकता देना।
- **नौकरशाही को सरल बनाना:** उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तपोषण और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

Source: ET

इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को 'डॉकिंग' करने का प्रयास किया

समाचार में

- इसरो अपने पहले अंतरिक्ष डॉकिंग (SpaDeX) मिशन का प्रदर्शन कर रहा है, जिसका लक्ष्य दो छोटे उपग्रहों को एक साथ लाना और उन्हें अंतरिक्ष में डॉक करना है।

SpaDeX मिशन

- यह अंतरिक्ष में डॉकिंग पर केंद्रित एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है।
  - इसमें PSLV रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दो छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य दो छोटे अंतरिक्ष यान - SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट) - को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करना है।
- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है।
  - इस मिशन में सटीक माप के लिए लेजर रेंज फाइंडर, रेंडेजवस सेंसर, प्रॉक्सिमिटी और डॉकिंग सेंसर जैसे उन्नत सेंसरों का उपयोग किया जाएगा, तथा सापेक्ष स्थिति एवं वेग का निर्धारण करने के लिए एक नए उपग्रह नेविगेशन-आधारित प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा।

डॉकिंग का परिचय

- डॉकिंग दो अंतरिक्ष यानों को कक्षा में एक साथ लाने और उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया है, जो बड़े अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष स्टेशनों से जुड़े मिशनों के लिए आवश्यक है।
- यह अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने, चालक दल और आपूर्ति भेजने तथा भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन एवं चंद्र मिशनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

डॉकिंग का इतिहास

- 1966 में, अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का जेमिनी VIII, एजेना लक्ष्य वाहन के साथ डॉक करने वाला पहला यान था।
- 1967 में सोवियत संघ के मानवरहित कोस्मोस 186 और 188 ने स्वचालित डॉकिंग का प्रदर्शन किया।
- 2011 में, चीन का शेनझोउ 8, तियानगोंग 1 अंतरिक्ष प्रयोगशाला के साथ जुड़ा, जिसके पश्चात् 2012 में प्रथम चालक दल के साथ डॉकिंग की गई।

भारत के लिए महत्त्व

- भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्र मिशन के लिए प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहा है, जिसके लिए डॉकिंग क्षमताओं की आवश्यकता होगी।
- स्पैडेक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है, जिसमें चंद्रमा मिशन, चंद्रमा से नमूना वापसी और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का निर्माण एवं संचालन शामिल है।
    - चंद्रयान-4 मिशन चंद्रमा से नमूने लाने के लिए डॉकिंग का उपयोग करेगा, जिसमें कई मॉड्यूलों को अलग-अलग प्रक्षेपित करके कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी की क्षमता वाला चौथा देश बनाना है।

उभरती चुनौतियाँ

- डॉकिंग प्रक्रिया में सटीक कार्यविधि और कठोर सेंसर अंशांकन सम्मिलित होता है।
- गति, संरेखण या समय में छोटे विचलन विफलता का कारण बन सकते हैं।
- इसरो ने इन अंशांकनों और एल्गोरिदम को परिष्कृत करने के लिए डॉकिंग प्रयास को दो बार स्थगित किया है।

भविष्य की दृष्टि:

- डॉकिंग मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशनों तक आपूर्ति पहुँचाने के लिए आवश्यक है तथा इससे अंतरिक्ष वाहनों में पुनः ईंधन भरने की सुविधा भी मिलती है।
    - यह उन मिशनों के लिए भी आवश्यक है जिनमें सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट प्रक्षेपणों की आवश्यकता होती है।
- डॉकिंग क्षमता पूर्णतः स्वायत्त अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक कदम है, जहाँ भविष्य के अंतरिक्ष यान उपग्रह-आधारित नेविगेशन डेटा के बिना भी डॉक हो सकेंगे।

Source: IE

लघु भाषा मॉडल (Small Language Models)

समाचार में

- OpenAI के एक पूर्व मुख्य वैज्ञानिक ने हाल ही में सुझाव दिया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs) में प्रगति धीमी हो सकती है क्योंकि स्केलिंग अपनी सीमा के करीब पहुँच रही है।

लघु भाषा मॉडल (SLMs)

- SLMs , एआई (AI) मॉडल हैं, जिन्हें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन LLMs की तुलना में इनमें काफी कम पैरामीटर होते हैं। यद्यपि GPT-3 (175 बिलियन पैरामीटर) और GPT-4 (1.7 ट्रिलियन पैरामीटर) जैसे LLM सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए बनाए गए हैं, SLM अधिक विशिष्ट अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- लघु मॉडल के उदाहरण:
    - गूगल: जेमिनी अल्ट्रा
    - OpenAI: GPT-4o मिनी
    - मेटा: Llama 3
    - अन्थ्रोपिक(Anthropic): Claude 3

SLMs के उदय के कारण

- **LLMs में घटता प्रतिफल:** जैसे-जैसे LLMs का विस्तार होता है, प्रदर्शन लाभ कम होता जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च संसाधन आवश्यकताओं के बावजूद प्रतिफल कम होता जाता है।
- **विशिष्ट आवश्यकताएँ:** SLMs विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं और अधिक लागत प्रभावी होते हैं, तथा संसाधन एवं मापनीयता संबंधी मुद्दों का समाधान करते हैं।

SLMs के लाभ

- **कॉम्पैक्ट और कुशल:** कम मेमोरी और कम्प्यूटेशनल पावर की आवश्यकता होती है, जो उन्हें एज डिवाइस, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑफ़लाइन AI के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **लागत-प्रभावी:** LLM की तुलना में प्रशिक्षण और तैनाती के लिए सस्ता, संसाधन-विवश वातावरण में पहुँच को सक्षम बनाता है।
- **लक्षित समाधान:** विशेष आउटपुट प्रदान करते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि में अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।

SLMs की सीमाएँ

- **कम संज्ञानात्मक क्षमता:** कम मापदंडों का तात्पर्य है कोडिंग या तार्किक समस्या-समाधान जैसे जटिल कार्यों में सीमित क्षमताएँ, जहाँ LLM उत्कृष्ट हैं।
- **विशिष्ट अनुप्रयोग:** SLM को संकीर्ण कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें LLM की सामान्य बुद्धिमत्ता एवं बहुमुखी प्रतिभा का अभाव है।
- **प्रदर्शन की उच्चतम सीमा:** SLMs को LLMs द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान की गहनता और व्यापकता से समंजस्यशील होने में संघर्ष करना पड़ सकता है।

भारत में SLMs

- भारत की अद्वितीय आवश्यकताओं और संसाधन की कमी SLMs को स्थानीय अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक बनाती हैं:
    - **संसाधन की कमी को संबोधित करना:** SLMs लागत-कुशल हैं और स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए आदर्श हैं जहाँ संसाधन सीमित हैं।
    - **भाषा विविधता को संरक्षित करना:** SLMs अनुकूलित भाषा मॉडल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में सहायता कर सकते हैं।
    - **स्थानीयकृत मॉडल:** विश्वम AI (IIIT हैदराबाद) और सर्वम AI जैसी पहलों का उद्देश्य भारत की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष, स्थानीयकृत मॉडल विकसित करना है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

संपूर्ण भारत में फसल उत्सव

संदर्भ

- हाल ही में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्सव मनाए गए, जो मानव एवं प्रकृति के मध्य गहरे और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को प्रदर्शित करते हैं।

भारत के फसल उत्सवों का परिचय

- **लोहड़ी:** यह शीत ऋतु के संक्रांति के अंत का प्रतीक है और इसमें रबी की फसल की कटाई का जश्न मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में हिंदुओं तथा सिखों द्वारा मनाया जाता है।
- **मकर संक्रांति:** सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा (उत्तरायण) और शीत ऋतु के अंत का प्रतीक है। पूरे भारत में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
    - पौष संक्रांति (बंगाल), सुकारात (मध्य भारत), मकर संक्रांति (दक्षिण और पश्चिम भारत) के रूप में जाना जाता है।
- **माघ बिहू (असम):** फसल के मौसम के अंत और वसंत में संक्रमण का प्रतीक है।
- **पोंगल (तमिलनाडु):** सूर्य देव को समर्पित चार दिवसीय त्योहार, उत्तरायण और फसल के मौसम का प्रतीक है।
    - इसमें सफाई (भोगी), सूर्य की पूजा (सूर्य पोंगल), गायों का सम्मान (मट्टू पोंगल) और सामाजिक यात्रा (कानुम पोंगल) शामिल हैं।

Source: PIB

गंगासागर मेला

संदर्भ

- गंगासागर मेले के आयोजकों ने कई नई पहलों की घोषणा की है, जिनमें वार्षिक तीर्थयात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रमाण पत्र भी सम्मिलित है।

परिचय

- गंगासागर मेला, जिसे गंगासागर यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के संगम पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू धार्मिक उत्सव है।
    - अनुष्ठानों में पवित्र स्नान और दीपदान शामिल हैं।
- यह मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है, यह कुंभ मेले के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है।
    - मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और इसे हिंदू धर्म में अत्यधिक शुभ माना जाता है।
- इस तीर्थ स्थल की जड़ें प्राचीन हैं, जिसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व (1500-2000 ईसा पूर्व) में मिलता है।
- यह मेला कपिलमुनि आश्रम से निकटता से जुड़ा हुआ है, जहाँ भक्त ऋषि कपिला को श्रद्धांजलि देते हैं।

Source: TH

स्वामी विवेकानंद की जयंती

संदर्भ

- स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में भाग लिया।

स्वामी विवेकानंद के संबंध में

- स्वामी विवेकानंद (1863-1902) एक भारतीय हिंदू भिक्षु, आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे।
- वे अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे।
- **प्रमुख साहित्यिक कार्य:**
  - **राज योग (1896):** यह आत्म-साक्षात्कार के मार्ग के रूप में ध्यान, एकाग्रता और मानसिक अनुशासन पर केंद्रित है।
  - **ज्ञान योग (1899):** मुक्ति पाने के लिए आत्म-जाँच और अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति पर बल देना।
  - **कर्म योग (1896):** यह निस्वार्थ कर्म के दर्शन पर चर्चा करता है, परिणामों से लगाव के बिना कर्तव्यों का पालन करने के महत्त्व पर बल देता है।
- **आध्यात्मिकता और दर्शन में भूमिका:**
  - वे वेदों से प्राप्त दर्शन के एक स्कूल वेदांत के समर्थक थे, और सार्वभौमिक भाईचारे एवं आत्म-साक्षात्कार के विचार पर बल देते थे।
  - 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका प्रसिद्ध भाषण, जहाँ उन्होंने "अमेरिका की बहनों और भाइयों" के अभिवादन के साथ शुरुआत की थी, आज भी धार्मिक सहिष्णुता, एकता एवं शांति के संदेश के लिए व्यापक रूप से स्मरण किया जाता है।
  - उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो समाज सेवा, शिक्षा और वेदांत दर्शन के प्रसार के लिए समर्पित एक संगठन था।
- **विरासत:**
  - उन्होंने पश्चिमी विश्व में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पेश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - 12 जनवरी, उनकी जयंती, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय प्रगति के लिए उनके दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।

Source: PIB

लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि

संदर्भ

- 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है।

लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में

- **राष्ट्रीय आंदोलन:** वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भाग लिया।
- उनके बचपन का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। हालाँकि, प्रचलित जाति व्यवस्था के विरुद्ध होने के कारण, उन्होंने अपना उपनाम छोड़ने का निर्णय किया।

- 1925 में काशी विद्यापीठ, वाराणसी में स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् उन्हें 'शास्त्री' की उपाधि दी गई।
- 'शास्त्री' की उपाधि एक 'विद्वान' या पवित्र शास्त्रों में निपुण व्यक्ति को संदर्भित करती है।
- वे 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने।
- **कृषि सुधार:**
  - भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने 1965 में भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में।
  - 1965 के युद्ध के दौरान उनके नारे 'जय जवान, जय किसान' ने खाद्यान्न की कमी के मध्य सैनिकों के साथ-साथ किसानों का मनोबल बढ़ाया।
- पड़ोसियों के बीच दीर्घकालिक शांति को बढ़ावा देने के लिए ताशकंद घोषणा पर 10 जनवरी, 1966 को भारतीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच सोवियत संघ की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए थे।
- **विरासत:**
  - उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
  - सिविल सेवकों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) का नाम उनके नाम पर रखा गया है।

Source: IE

राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC)

समाचार में

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में

- **भूमिका और कार्य:** राज्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
  - राज्य लोक सेवाओं में भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर परामर्श देता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** SPSCs भारतीय संविधान के भाग XIV के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 द्वारा शासित होते हैं।
  - ये प्रावधान संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों को रेखांकित करते हैं।
- **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति:** नियुक्ति प्राधिकारी राज्य का राज्यपाल है (अनुच्छेद 316)
  - अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक कार्य करता है।
- **पदच्युति:** अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है:
  - दिवालिया घोषित किया गया, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य रोजगार में संलग्न है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सिद्ध दुर्व्यवहार के मामले में।

Source: PIB

भारत बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में सम्मिलित हुआ (India Joins UN Panel on Big Data)

समाचार में

- भारत को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा एवं डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD) में सम्मिलित किया गया है।

UN-CEBD

- इसे 2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था।
- इसमें 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं।
- गतिविधियों एवं पहलों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए, सामान्यतः आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा पर सम्मेलन के साथ-साथ प्रतिवर्ष एक पूर्ण बैठक आयोजित की जाती है।

अधिदेश

- यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का समर्थन करते हुए वैश्विक बिग डेटा कार्यक्रम के लिए दिशा प्रदान करता है।
- यह डेटा की गुणवत्ता, पहुँच, गोपनीयता, सुरक्षा एवं विश्लेषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है।
- यह प्रशिक्षण, अनुभव-साझाकरण एवं सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह नीति अनुप्रयोगों एवं सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए बिग डेटा के उपयोग को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए महत्त्व

- भारत की भागीदारी वैश्विक सांख्यिकीय प्रथाओं में इसके प्रभाव को मजबूत करती है, तथा डेटा-संचालित प्रगति के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
- सदस्यता भारत को बड़े डेटा में घरेलू प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की अनुमति देती है, जिससे डेटा विज्ञान में नेतृत्व प्रदर्शित होता है।
    - वृहद डेटा एवं IoT, सैटेलाइट इमेजरी एवं निजी क्षेत्र के डेटा जैसी उन्नत तकनीकें सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करेंगी और डेटा सटीकता में सुधार करेंगी।
- यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद में सदस्यता पुनः प्राप्त की है।

Source :PIB

गुलाबी अग्निरोधक(Pink Fire Retardant)

समाचार में

- दक्षिणी कैलिफोर्निया में अधिकारी वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए विमानों एवं हेलीकॉप्टरों को तैनात कर रहे हैं, तथा अग्निशमन में प्रमुख उपकरण के रूप में गुलाबी अग्निरोधी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं।

गुलाबी अग्निरोधक के संबंध में

- यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसे **आग की लपटों को ऑक्सीजन से वंचित करके बुझाने या उसके प्रसार को धीमा** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **गुलाबी रंग दृश्यता को बढ़ाता** है, जिससे अग्निशामकों को प्रभावी ढंग से लक्ष्य क्षेत्रों में पहुँचने में सहायता मिलती है।
- **फॉस-चेक** अमेरिका में वनाग्नि के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अग्निरोधी है।
- यह **अमोनियम फॉस्फेट** आधारित घोल है जो वनस्पति पर लगाया जाता है, तथा अग्नि को फैलने से रोकने के लिए अवरोध उत्पन्न करता है।
- शोध से पता चलता है कि फॉस-चेक में **क्रोमियम एवं कैडमियम** जैसी जहरीली धातुएँ हैं, जो जलमार्ग में प्रवेश करने पर मनुष्यों और जलीय जीवन दोनों को हानि पहुँचा सकती हैं।

Source :IE

दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रीकुलेरिया(Rare Carnivorous Plant Utricularia)

समाचार में

- हाल ही में, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में दुर्लभ मांसाहारी पौधे यूट्रीकुलेरिया (ब्लैडरवॉर्ट्स) पाए गए, जो उद्यान की समृद्ध आर्द्रभूमि जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं।

यूट्रीकुलेरिया (ब्लैडरवॉर्ट्स) के संबंध में

- **परिचय:** यह अपने छोटे मूत्राशय जैसी संरचनाओं के लिए जाना जाता है, जिन्हें यूट्रिकल्स कहा जाता है, जो शिकार को फंसाते हैं।
- **क्रियाविधि:** मूत्राशय के द्वार के पास बाल जैसे उभार, हलचल के प्रति संवेदनशील होते हैं, तथा शिकार को चूसने के लिए निर्वात जैसी क्रिया को सक्रिय करते हैं।
- **शिकार:** प्रोटोजोआ, कीड़े, लार्वा, मच्छर और यहाँ तक कि टैडपोल जैसे छोटे जीवों को खाता है।
- **आवास:** झीलों, नदियों एवं जलभराव वाली मिट्टी में पाया जाता है, जलीय या अर्ध-जलीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

महत्त्व

- कीट जनसंख्या को नियंत्रित करके पारिस्थितिक विविधता में योगदान देता है।
- छोटे जीवों की जनसंख्या को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।

Source: TH

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य

समाचार में

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण को मंजूरी दे दी है।

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में

- **अवस्थिति : असम के जोरहाट** जिले में स्थित है।
  - इसमें आधिकारिक तौर पर डिसोई घाटी(valley) रिजर्व वन, डेसोई रिजर्व वन और तिरु हिल रिजर्व वन सम्मिलित हैं।

- **स्थापना:** 1997 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।
- **महत्त्व:** भारत के एकमात्र गिब्बन, हूलॉक गिब्बन का आवास।
    - पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट, बंगाल स्लो लोरिस का आवास।

Source: TH

हश मनी (Hush Money)

संदर्भ

- अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले(hush money case) में आपराधिक दोषसिद्धि के कारण सजा से बचा लिया गया है।

परिचय

- हश मनी से तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसके बारे में चुप रहने के बदले में किया जाने वाला भुगतान है;
    - **अवैध, अनैतिक या अनैतिक कार्य:** जैसे कि आपराधिक अपराध या कदाचार।
    - **आक्षेपित व्यवहार(Stigmatized behavior):** ऐसे कार्य जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकते हैं।
    - **मानहानि की रोकथाम:** किसी असंतुष्ट विरोधी को शांत करने के लिए दिया गया पैसा जो मानहानि के दावों से निपटने के हानिऔर परेशानी से बचने के लिए शर्मनाक जानकारी का प्रकट कर सकता है, भले ही वह असत्य हो।

Sources: TH

■■■■